

अंचल अधिकारी, छत्तरपुर (पलामू) का कार्यालय।

अभिलेख वाद सं०- 156/2016-17

वाद का प्रकार:- बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत
जाँच एवं कारवाई से संबंधित।

तिथि	आदेश फलक	अभ्युक्ति
9/11/2022	Covid-19 के तहत हुए लॉक डाउन के कारण अभिलेख उपस्थापित नहीं किया जा सका। प्रभारी प्रधान सहायक के द्वारा बतलाया गया कि अभिलेख संबंधित कर्मचारी के पास था। हस्तनान्तरण के पश्चात इनके द्वारा अभिलेख कार्यालय में जमा नहीं किया गया। प्रभारी प्रधान सहायक को निदेश दिया जाता है कि अभिलेख संधारण की कार्रवाई पुनः शुरू करें। अभिलेख दिनांक <u>8/12/2022</u> को उपस्थापित करें।  अंचल अधिकारी, छत्तरपुर।	
8/12/2022	अभिलेख उपस्थापित। झारखण्ड सरकार के झापांक 2074/रा० दिनांक 13.05.2016 सह-पठित -श्री अनुप मुखर्जी निदेशक, भू- अर्जन-सह-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्रांक सं०-3 खा०भ०नि० 119/85/2308/रा०, दिनांक 03.09.1985 एवं सह-पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र सं०- 914/रा० दिनांक 09.12.1998 एवं विभागीय पत्रांक 1704/रा०, दिनांक 15/07/2020 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि (किस्म <u>अ.प.त.स.म.</u>) की कायम की गयी जमाबंदियों की जाँच प्रारंभ की गयी। जाँच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि, निम्नांकित विवरणी की भूमि:- मौजा <u>भिरवही</u> थाना नं० <u>307</u> खाता सं० <u>21</u> प्लॉट सं० <u>13</u> रकबा <u>1000</u> एकड़ की भूमि जो गत सर्वे में गैरमजरूआ मालिक किस्म <u>अ.प.त.स.म.</u>, अनाबाद बिहार/झारखण्ड सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी-11 के जिल्द सं० <u>1</u> के पृष्ठ सं० <u>34</u> पर जमाबंदी रैयत <u>सिद्धेश्वर</u> <u>पिता - मांझ डोईत</u> के नाम से कायम है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त उपर्युक्त भूमि विवरणी के विरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के आधार पर /सादाहुकुमनामा के आधार पर, कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है। प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत जाँच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है। अतएव, संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण पृच्छा करें, कि क्यों नहीं	

उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।
अभिलेख दिनांक 24.12.2022 को उपस्थापित करें।


अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

24.12.22

अभिलेख उपस्थापित।

नोटिस का तामिला प्राप्त। मांगधारी रैयत/उनके वंशज निर्धारित तिथि को उपस्थित हुए। इनके द्वारा अपने पक्ष में झारखण्ड भूमि सुधार कमीटी
काय निर्णय पंजी सं० - 165996

समर्पित किया गया है। इस संबंध में संबंधित राजस्व कर्मचारी को निदेश दिया जाता है कि प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों को एक सप्ताह के अन्दर गहनतापूर्वक जाँच कर अंचल निरीक्षक के माध्यम से चेक लिस्ट एवं जाँच प्रतिवेदन समर्पित करें।
अभिलेख दिनांक 7.01.2023 को उपस्थापित करें।


अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

7.1.2023

अभिलेख उपस्थापित

राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा प्रभारी अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा... मिखरी मौजा नं० 307 खाता सं० 21 प्लॉट सं० 43 रकबा 1.10 किस्म जंगल प्रतियान के अनुसार गैरमजरूआ मालिक खाते की भूमि है। मांगधारी रैयत/ वंशज के द्वारा दिनांक 01/01/1946 के पूर्व का ठोस राजस्व कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है। चूंकि उक्त प्लॉट का किस्म जंगल दर्ज है, अतः जमाबंदी को नियमितिकरण नहीं किया जा सकती है। उक्त के आलोक में अवैध जमाबंदीदार... लहरे उद्योग पितृ मंगल उद्योग के नाम से पंजी-11 में कायम जमाबंदी सं० 3411 को रद्द करने की अनुशंसा की गयी है।

अतः राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत पंजी-11 में कायम जमाबंदी सं० 3411 को रद्द करने हेतु अनुशंसा के साथ अभिलेख मूल में भूमि सुधार उप समाहर्ता, छत्तरपुर के माध्यम से अपर समाहर्ता, पलामू को भेजें।
लेखापित एवं संशोधित।


अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।


अंचल अधिकारी
छत्तरपुर।

संदिग्ध जमाबंदी से संबंधित अंचल स्तर पर मरा जाने वाला
चेक-लिस्ट

1. जिला एवं अंचल का नाम - पलामू, छत्तारपुर

2. अवैध जमाबंदीदार का नाम एवं भूमि का विवरण :-

जमाबंदीदार का नाम	मौजा	थाना नं.	खाता नं.	खेसरा नं.	रकबा	खतियानी प्रविष्टि	किस्म जमी
सहदेव डईव	मिखदी	307	21	43	1.00	जंगल झाड़ी	जंगल झाड़ी
पिता मंगल डईव							

3. भूमि का वर्तमान स्वरूप :- जंगल झाड़ी

4. अवैध जमाबंदी पंजी-II में कब से संधारित है? :- पंजी II मांग कायम का
अधार दर्ज नहीं है।

5. उक्त जमाबंदी पंजी-II में दर्ज करने वाले
कर्मचारी/पदाधिकारी का नाम (पदाधिकारियों
के उत्तराधिकार पट्टा में अंकित नाम के अनुसार
तथा कर्मचारी/कर्मि का नाम अंचल कार्यालय में
संधारित सेवा इतिहास पंजी से पता कर उल्लेखित करें) :-
मांग पंजी II में कोई
अधार नहीं है।

6. नामान्तरण/दाखिल - खारिज के उपरान्त संधारित जमाबंदी
के मामलों में मूल जमाबंदी रैयत की विवरणी :- NA

7. अवैध जमाबंदी कायम किये जाने का आधार
(क) अनिवारित, सादा हुकुमनामा :- NA

(ख) लगान निर्धारण तथा उसका वर्ष
(वाद संख्या एवं पारित अदेशानुसार) :- NA

(ग) अवैध भू-बंदोबस्ती (वाद संख्या के साथ) भूदान सहित :- NA

8. सादा हुकुमनाम की स्थिति में तथा-कथित सादा पट्टा या हुकुमनामा
में अंकित मूल्य (100/- रुपये से कम या इससे अधिक) :- NA

अवैध जमाबंदी की जाँच किया राजस्व अभिलेख से का गिरा :-
(क) भूतपूर्व जमींदार द्वारा चाखिल रिटर्न से

अंश कार्यस्थल
पंजी II एवं 2 व
3

(ख) अंचल / अनुमंडल में संचारित बंदोबस्ती पंजी से :-

(ग) चाखिल-खारिज / भू-उत्सांतरण / नामांतरण पंजी से :-

10. (क) अवैध जमाबंदी क्या दिनांक-01.01.1940 के पूर्व से कायम है :- **नहीं**

(ख) क्या दिनांक-01.01.1940 के पूर्व भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत
जमीनदारी रसीद साल-दर-साल निर्गत है? :- **नहीं**

11. क्या दिनांक-01.01.1940 के बाद से 1955-56 तक जमीनदारी रसीद :- **नहीं**
तथा उसके बाद सरकारी राजस्व रसीदें लगातार निर्गत है? :-

12. वर्ष 1954-55 में हुए फिल्ड-बुझारत पंजी में दखल-कब्जा अवैध
जमाबंदीदार अथवा उनके पूर्वजों का नाम अंकित था? :- **नहीं**

13. राजस्व उप-निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन स्पष्ट अनुशंसा सहित :-
प्रतिवेदन अमि मौजा मिरवही के खतार 21 प्लॉट 43 इकाई 1.00 एकड़
अमि का मंज पंजी II के पेज नं. 34/1 पर सदर उरों व पितामंजु
उरों के नाम से दर्ज हो मंज पंजी II में मंज कायम होने के कोई
अधर दर्ज नहीं है मंजधारी को बिहार अधिनियम 1950 के द्वारा
प्रपत्र 5 में प्रपत्र नं. 65936/12000 के द्वारा प्राप्त हो इकाई अमि का 4800/500 के
द्वारा अंगान निर्धारण संपूर्ण प्रपत्र 8 के द्वारा नहीं किया गया। अमि पर
मंजधारी का स्पष्ट दखल कब्जा नहीं है इकाई अमि जो रमनलया मालिक
रखने की है तथा अमि का किम जंगल सारी दर्ज है।
अतः उपरोक्त मंज अवैध तरीके द्वारा है अतः कारवाही हेतु संकेत
RST

14. अंचल निरीक्षक का स्थलीय जाँचोपरांत मंतव्य सहित स्पष्ट प्रतिवेदन :-

राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा प्रतिवेदन जाँच प्रतिवेदन का
जाच किया जा रहा है। अतः उपरोक्त जमाबंदी को खतर करने
की अनुशंसा किया जाता है।
RST

अधिकारी, भूमि-सुधार उप समाहर्ता,
छत्तरपुर।

अनुमंडल पदा.,
छत्तरपुर।

अपर समाहर्ता,
पलागू।

उपायुक्त,
पलागू।

संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन।

1. संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम :- सदैव उरेंबजिहा मंगल उरेंब
2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरणी जमाबंदी पंजी II के जिल्द संख्या 1 पृष्ठ सं: 34/1 पर कायम है।

मौजा	धाना नं.	खाता सं.	खेसरा सं.	रकबा
मिखदी	307	21	43	1.00

3. जमाबंदी किस वर्ष कायम है :- पंजी II में मांग कायम का आधार दर्ज नहीं है
4. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खानेदार का नाम :- जैरमजह्दा मालिक
5. किस सक्षम प्राधिकार / पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गयी है :- कोई भी सक्षम पदाधिकारी का आदेश दर्ज नहीं है
6. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामांतरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम :- पंजी II जमाबंदी का आधार दर्ज नहीं है

7. मूल जमाबंदी कायम किये जाने का आधार पंजी II में दर्ज नहीं है
(अनिबंधित सादा हुकुमनामा / लगान निर्धारण / अवैध भू-बंदाबस्ती) :-

8. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गयी
(भूतपूर्व जमीनदार दाखिल रिटर्न / बंदोबस्ती पंजी / लगान निर्धारण पंजी / भू-हस्तांतरण पंजी)
:-

9. संदेहास्पद जमाबंदी में लगान रसीद संख्या एवं वर्ष :-

क्र. सं.	लगान रसीद सं.	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष
1	3526427	15/07/2006	2006-07

वाद अभिलेख सं० 156 / 20 16-17 (अन्तर्गत धारा 4(h). BLR Act, 1950)

नाना मंगरु अंक सूचना

पिता पूमा अंक

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मौजा अरिखी थाना नं० 304 खाता सं० 21 खेसरा नं० — रकबा 450 से संबंधित आपके नाम से ह० नं० V के पंजी-II भागI.... के पृष्ठ 34 पर दर्ज जमाबंदी प्रथम दृष्टया राजस्व उपनिरीक्षक नें अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँचोपरान्त संदिग्ध प्रतिवेदित किया है।

अतएव आप उक्त संबंध में दिनांक 24/12/2022 को समय 11:00 बजे पूर्वाह्न में उक्त भूमि का रिटर्न-1, भूमि बन्दोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा, भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमींदारी रसीदों, निर्गत परवाना एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल प्रति/सत्यापित प्रति जो आपके उक्त भूमि पर दावे की पुष्टि करता हो, के साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज/साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर पहुँचते हुए दर्ज जमाबंदी के संबंध में युक्ति-युक्त निर्णय लेते हुए विधिसम्मत अनुशंसा कर दी जायेगी।

इसे सख्त ताकिद जाने।



अंचल अधिकारी,
उत्तरपुर।

21 मारच 2023

M.N. 9608986906